



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 340 राँची, बुधवार, 10 आषाढ़, 1948 (श०)
1 जुलाई, 2026 (ई०)

**अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग।**

संकल्प

22 सितम्बर, 2023

विषय:- झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या-656 दिनांक--05.03.2021 को संशोधित करने के संबंध में ।

1. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या-656, दिनांक-05.03.2021 एवं संकल्प संख्या-3494, दिनांक-05.12.2022 निर्गत है ।

2. साईकिल क्रय हेतु निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण की महत्वपूर्ण योजना निष्पादित नहीं हो पायी है। सभी पहलूओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी सभी कोटि के विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं जो वर्तमान में कक्षा-XI, कक्षा-X एवं कक्षा-IX अध्ययनरत् हैं को DBT के माध्यम से खाते में राशि उपलब्ध कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 122.00 करोड़, 2021-22 में रु.122.00 करोड़ एवं 2022-23 में रु.122.00 करोड़ कुल रु. 366.00 करोड़ बजटीय उपबंध है, जिससे प्रति छात्र रु.4500/-की दर से लगभग 8.15 लाख (आठ लाख पन्द्रह हजार) छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होंगे।
3. वर्तमान तथा आगामी वित्तीय वर्षों के लिए खुली निविदा के माध्यम से साईकिल क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक सत्र प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई से आरम्भ होता है। साईकिल क्रय हेतु निविदा की प्रक्रिया में लगभग 04 से 05 माह तक का समय सम्भावित होता है। अतः शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में ही झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु, वित्तीय वर्ष- 2024-25 के बजट उपबंध से वितरित की जानेवाली साईकिल की खुली निविदा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि, छात्र-छात्राओं को ससमय साईकिल प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में साईकिल योजना के बजट उपबंध का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत होने के उपरान्त साईकिल क्रय करने एवं संकल्प संख्या-656, दिनांक- 05.03.2021 द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार लगभग 2.71 लाख (दो लाख एकहत्तर हजार) अर्हताधारी छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के साईकिल योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के लिए बजटीय उपबंध की राशि जो P/L खाता में संधारित है से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए तत्समय कक्षा-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं जो वर्तमान में कक्षा-XI, कक्षा-X एवं कक्षा-IX अध्ययनरत् हैं

को DBT के माध्यम से खाते में राशि उपलब्ध कराया जायेगा । इस हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-2008, दिनांक-03.07.2023 को शिथिल किया जाता है।

5. संकल्प संख्या- 656 दिनांक- 05.03.2021 को इस हद तक संशोधित एवं संकल्प संख्या- 3494, दिनांक- 05.12.2022 को विलोपित किया जाता है ।
6. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।
7. इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
8. विभागीय संलेख ज्ञापांक-2004, दिनांक-06.09.2023 के क्रम में दिनांक-06.09.2023 को मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या-40 में उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
